

बुढ़ेरा पंचायत में विकास की खुली पोल

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुढ़ेरा में विकास कार्यों में अनिर्यमितता और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों के

25 लाख का सामुदायिक भवन, बिना काम के निकले 12 लाख, 8 महीने से काम ठप

सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुविधा के लिए स्वीकृत हुए सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पिछले आठ महीनों से अधर में लटका हुआ है। अचरज की बात यह है कि सरकारी कामजों में योजना की आधी राशि आहरित कर ली गई है,



लेकिन धरातल पर काम की शुरुआत तक नहीं हो सकी है। **क्या है पूरा मामला : स्वीकृत बजट-** ग्राम पंचायत बुढ़ेरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए कुल 25 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी।

निकाली गई राशि- स्वीकृत बजट में से लगभग 12 लाख की राशि पंचायत/संबंधित एजेंसी द्वारा निकाली भी जा चुकी है। **वर्तमान स्थिति-** राशि की निकासी के 8 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं

हुआ है।

ग्रामीणों में आक्रोश- स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी बजट की बंदरबांट की जा रही है। जब आधी राशि खाते से निकाल ली गई, तो निर्माण कार्य स्थल पर एक ईंट तक क्यों नहीं रखी गई? थोड़ा बहुत काम कर लाखों की रूपयें निकाल लिये गये हैं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते विकास

योजनाएं केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई हैं। **उठे गंभीर सवाल : बिना काम के राशि कैसे निकली-** नियमत: निर्माण कार्यों की प्रगति (मस्टर रोल/मूल्यांकन) के आधार पर ही किश्तें जारी होती हैं। ऐसे में बिना काम शुरू हुए ?12 लाख की निकासी अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करती है।

जिम्मेदार मीन क्यों
पिछले 8 महीनों से काम बंद रहने के बावजूद जनपद और जिला पंचायत स्तर के जिम्मेदारों ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। **जांच और कार्रवाई की मांग :** स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों पर तत्काल एफ़्काईआर दर्ज कर आहरित की गई राशि की वसूली की जाए और सामुदायिक भवन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की लाभ लेने के लिए हितग्राही करें आवेदन

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निश्चलजन कल्याण विभाग द्वारा 12 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती शशिकिरण इक्का ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक है, इसके लिए बीपीएल सूची में जिनका नाम है, वे आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बीपीएल सूची में शामिल विधवा महिलाएं पात्रता रखती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्चक

पेंशन योजना में 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बीपीएल दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 प्रतिशत या अधिक है, वे आवेदन कर सकते हैं। कन्या अभिभावक पेंशन योजना में केवल पुत्री संतान होने वाले दंपति पात्र है, जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुदिव्यांग अथवा मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग पात्र हैं। 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धजन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्धजन जो वृद्धाश्रम में निवासरत हैं, वे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हकदार हैं। परित्याका महिलाओं के लिए भी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्याका बीपीएल सूची में शामिल महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजन जिनकी निश्चकता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 18 वर्ष से 79 वर्ष एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजन के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभ ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कल्याणी पेंशन में 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं और इससे अधिक आयुवर्ग की विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं।



श्योपुर-पाली रोड पर नहर के रास्ते में जानलेवा डेथ ट्रैप

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। श्योपुर-पाली मुख्य मार्ग से होकर नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर लोक निर्माण विभाग और संबंधित प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। नहर के रास्ते में सड़क के बीचों-बीच बना एक जानलेवा गड्ढा दिन-प्रतिदिन और

के कारण गड्ढे की चौड़ाई और गहराई लगातार बढ़ती जा रही है।

अंधेरे में जान का जोखिम

सड़क और नहरी मार्ग पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न होने के कारण रात के समय यह गड्ढा वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता। विशेषकर दोपहिया वाहन चालक अचानक संतुलन खोकर इसमें गिर रहे हैं।

नहर से सटा खतरनाक मार्ग

चूंकि यह रास्ता नहर के समानांतर/करीब से होकर गुजरता है, ऐसे में गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर वाहनों के सीधे नहर में गिरने या पलटने की बड़ी आशंका हर वक्त बनी रहती है।

स्थानीय निवासियों का कहना है ...

इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग गुजरते हैं। आए दिन बाइक सवार इस गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे हैं। हमने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन प्रशासन शायद किसी बड़े और दर्दनाक हादसे के बाद ही नदी से जागेगा।

उठे गंभीर सवाल

मरम्मत में देरी क्यों : लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग/नगर पालिका की सीमा विवाद के बीच इस गड्ढे की पंचवर्ष/मरम्मत का काम क्यों अटका हुआ है।

सुरक्षा संकेत गायब : गड्ढा इतना बड़ा होने के बावजूद प्रशासन द्वारा इसके आसपास कोई सांकेतिक बोर्ड, रेडियम टेप या बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई?

मुख्य मांगें

क्षेत्रीय नागरिकों और वाहन चालकों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभाग से मांग की है कि किसी बड़े जंम- धन के नुकसान से पहले इस जानलेवा गड्ढे का स्थायी भराव कराया जाए और पूरे नहरी मार्ग की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी की जाए।

कर्मकार मंडल श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं लाभ

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत श्रमिक अपना पंजीयन कराकर मंडल की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में न्यूनतम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, वे योजना के पात्र हैं इसके लिए स्वघोषणा पत्र भरना होता है। पंजीयन के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, भारत सरकार के ई- श्रम पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत हो, समग्र ई-केवाईसी हो, आयकर दाता

श्रमिक दुर्घटनाओं की सूचना देने हेल्पलाइन नंबर जारी

श्योपुर, 26 जुलाई। श्योपुर जिले में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा और कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में त्वरित सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग ने कठे दिशा-निर्देश जारी किए हैं। श्रम पदाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जिले में श्रम विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना या श्रमिक हितों से जुड़े बचाव एवं राहत कार्यों की सूचना अब अविलंब विभाग को देनी होगी। श्रम विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्यस्थल पर कोई भी छोटी या बड़ी दुर्घटना घटित होती है, तो इसकी सूचना संबंधित श्रमिक स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से तत्काल कार्यालय श्रम पदाधिकारी, श्योपुर को उपलब्ध करा सकता है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में प्रभावित श्रमिक को समय पर उपचार और वैधानिक सहायता प्राप्त हो सके।

न हो, कृपि भूमि 01 हेक्टेयर से अधिक न हो।

पंजीकृत श्रमिकों के लिए कर्मकार मंडल की विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ई-स्कूटर वाहन क़य करने के लिए कुल मूल्य की 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपये की राशि मंडल द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार नगरीय आवासीय योजना में ऐसे श्रमिकों को पीएम आवास

योजना शहरी अंतर्गत आवास स्वीकृत होने पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। साइकिल क़य करने के लिए पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल के मूल्य की 90 प्रतिशत राशि अधिकतम 4 हजार रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। औजार उपकरण खरीदी के लिए क़य उपकरणों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है।

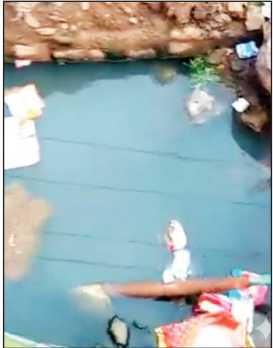
कराहल ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर विनाश

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। श्योपुर जिले की कराहल ग्राम पंचायत में विकास कार्यों और नालियों की सफ़ाई के नाम पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने

जेसीबी से तोड़ दी पक्की नालियां, बिना ढके रास्ते बंद हादसों के मुहाने पर मोहल्ला

आया है। नाली सफ़ाई के नाम पर बुलाई गई जेसीबी मशीन ने सफ़ाई करने के बजाय मोहल्ले में सालों से बनी पक्की पथर की नालियों को पूरी तरह उखाड़ कर तहस-नहस कर दिया है। पंचायत प्रशासन की इस हड़बड़ी और ग़ैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण क्षेत्र के लोगों का पैदल



चलना भी दूभर हो गया है।

सफ़ाई के नाम पर तबाही- क्या हैं मुख्य बिंदु : नालियां उखाड़ीं, गड्ढों के कारण मोहल्ले के मुख्य रास्तों को बिना ढके और बिना कोई अस्थायी रपटा/पुलिया बनाए छोड़ दिया गया है, जिससे रास्तों पर पूरी तरह आवागमन ठप हो गया है। **हादसों को न्यौता-** जगह-जगह



निर्माण शुरू हुआ।

रास्ते बंद, आवाजाही ठप- तोड़फोड़ के बाद मलबे और गहरे गड्ढों के कारण मोहल्ले के मुख्य रास्तों को बिना ढके और बिना कोई अस्थायी रपटा/पुलिया बनाए छोड़ दिया गया है, जिससे रास्तों पर पूरी तरह आवागमन ठप हो गया है। **हादसों को न्यौता-** जगह-जगह

कारगिल विजय दिवस पर कॉलेज में देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम का आयोजन

अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से कार्य करे, देश के प्रति यही सच्ची निष्ठा कारगिल के अमर शहीदों को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित भूतपूर्व सैनिक जेपी शर्मा ने अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों में नया जोश भर दिया। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौर की विषम परिस्थितियों, दुर्गम पहाड़ियों पर शून्य से नीचे तापमान में भारतीय सेना के संघर्ष और विकट स्थितियों में सेना के कार्य करने के अनुशासन व जज्बे के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने दौर के वास्तविक संस्मरण साझा करते हुए बताया कि किस तरह विपरीत हालात के बावजूद भारतीय जवान राष्ट्र प्रथम

के संकल्प के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं।

इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी कैप्टन प्रो.अरविंद दोहरे, प्रो. वेदांकी खंडेलवाल, डॉ. आसिफ कुरेशी डॉ. राहुल सेनी, डॉ. वीरेंद्र कुमार रजक एव अन्य प्राध्यापको की

कारगिल के वीरों का समर्पण जीवन में फतारने की प्रेरणा दी
कार्यक्रम में वक्ता के रूप में डॉ. लोकेंद्र सिंह जाट ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रखा गया इतिहास भारतीय सेना के अमर अमर बलिदान और शौर्य की अमर गाथा है। भारत मां के वीर सपूतों ने अपनी सौंसों की आहुति देकर देश के मस्तक को झुकने नहीं दिया और यह सिद्ध किया कि जब-जब राष्ट्र की अखंडता पर संकट आएगा, भारतीय सेना एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी रहेगी। उनका यह सर्वोच्च बलिदान हमें संदेश देता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों को कारगिल वीरों के राष्ट्र-समर्पण को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी।

झिरन्या गांव में अंधाधुंध जंगल कटाई पर बवाल



नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। श्योपुर जिले में वनों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कराहल क्षेत्र के झिरन्या

ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा, वन विभाग पर उठे सवाल

गांव के पास जंगल में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला गरमा गया है। क्षेत्र के जागरूक ग्रामीणों और युवाओं ने इसका विरोध

जताते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें व वीडियो वायरल कर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े किए हैं।

क्या है पूरा मामला : कराहल क्षेत्र का झिरन्या गांव वनों से घिरा हुआ इलाका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से झिरन्या के आसपास के वन क्षेत्रों में हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई जारी है।

सोशल मीडिया पर जंग : ग्रामीणों ने कटे हुए पेड़ों और टूटों के फोटो व वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर किए हैं।

पानी के अत्यधिक तीव्र बहाव के कारण युवक को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। **दूर तक बहता दिखा युवक-** तेज धाराओं की चपेट में आया युवक देखते ही देखते पानी में दूर तक बहता चला गया और गहरे पानी में ओझल हो गया। **प्रत्यक्षदर्शियों में शोक और दहशत :** रविवार का दिन होने के

कारण झरेल के बालाजी मंदिर में दर्शनार्थियों और पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। आंखों के सामने युवक को पानी के प्रचंड वेग में बहता देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अपरा-तप्परी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया।

देर शाम तक रेस्क्यू बेनतीजा

घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अमले को दी गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी के बहाव की दिशा में युवक की तलाश शुरू की। हालांकि, नदी के तीव्र वेग और बढ़ते जलस्तर के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम तक उक्त युवक का कोई अता-पता नहीं चल सका था। प्रशासन द्वारा आसपास के निचले इलाकों और तटीय गांवों में भी अलर्ट जारी कर युवक की तलाश की जा रही है।

विधिक जागरूकता को देना है बढ़ावा

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 26 जुलाई। आम नागरिकों को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम

से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

जिले के नागरिक विधिक सहायता, कानूनी परामर्श अथवा अन्य कानूनी जानकारी के लिए सुश्री अंकिता शांडिल्य, जिला

विधिक सहायता अधिकारी, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय, श्योपुर से भी संपर्क कर सकते हैं। नि:शुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को कानूनी सलाह, अधिवक्ता की सुविधा तथा विभिन्न प्रकार के न्यायिक मामलों में आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, महिला एवं बाल अधिकार, श्रम विवाद, उपभोक्ता शिकायत सहित अन्य विधिक मामलों में भी पात्र व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उठे गंभीर सवाल और मांग

तकनीकी मापदंडों की अनदेखी- बिना किसी योजना और सुरक्षा उपायों के रिहाइशी इलाकों में इस तरह अंधाधुंध जेसीबी चलाने की इजाजत किसने दी? सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं- खुले गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए।

ग्रामीणों की चेतावनी : मोहल्लेवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा तुरंत उखाड़ी गई नालियों का निर्माण, रास्तों पर ढकाव और रपटे का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया, तो वे जनपद पंचायत और कलेक्टर कार्यालय का धराव करने के लिए मजबूर होंगे।